

उत्तर प्रदेश शासन,
नगरीय रोज़गार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या: 526/69-1-98-2 (एस.डी.)/97
लखनऊ: दिनांक, 31 मार्च, 1998

कार्यालय-पत्र

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत आश्रय सुधार के सुचारू/सफल क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा जारी मार्ग-निर्देशानुसार आश्रय व्यवस्था में आश्रय सुधार अथवा नये मकानों के निर्माण (ई.डब्लू.एस.) पुर्ननिर्माण के नियमित अनुश्रवण तथा समीक्षा हेतु श्री राज्यपाल महोदय राज्य स्तर पर परियोजना समिति के गठन की निम्नवत सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- | | |
|--|---------|
| (1) प्रमुख/सचिव, नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ.प्र. शासन। | अध्यक्ष |
| (2) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त | सदस्य |
| (3) प्रमुख सचिव/सचिव, आवास | सदस्य |
| (4) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन | सदस्य |
| (5) प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास | सदस्य |
| (6) आवास आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ | सदस्य |
| (7) क्षेत्रीय प्रमुख, हडको लखनऊ | सदस्य |
| (8) भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| (9) निदेशक, सूडा, उ.प्र., लखनऊ | सदस्य |

उपर्युक्तानुसार गठित परियोजना समिति योजना का स्वरूप व उसके आधार पर समीक्षा करेगी।

सुबोध नाथ झा
प्रमुख सचिव

संख्या: 526(1)/69-1-98-2 (एस.डी.)/97, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपर्युक्तानुसार समस्त सदस्यगण।
2. निदेशक (ई.पी.ए.), भारत सरकार शहरी रोज़गार और गरीबी उपशमन विभाग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा. मंत्री जी।
4. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(हेमलता डौंडियाल)
संयुक्त सचिव